

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... (579) मुकाम.....
हडापड कलम

..... बनाम.....
उहावावाय जय

किस्म मुकदमा..... नं. 115/2021 सन्.....
11/128 कलम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्ट के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... राजस्थान कौशलकारी/भू रोजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.05.21 को पेश हो।</p>	
04/05/2021	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p> <p>..... 12/07/2021 को पेश हो/</p>	
12/07/2021	<p>प्रार्थी वकील उपरिभूत/विप्रार्थी- गौरी के नोटिस पूर्व में जारी रजिस्ट्रर एडी मिजवाये जय जिनकी एडी पुनः उपलब्ध नहीं हुई है भीमान पौड्यानी अधि- कारी का पद रिक्त होने से मिजवाले इलतवा एडर मिजवाले दिनांक 05/10/2021 को पेश हो/</p>	

05/10/2021

प्रार्थी वहील उपस्थित। विद्यार्थीगणों
एडी उनः प्राप्त नहीं हुई है। सीमांत पीछाने
साक्षिद्वारा प्रमाणित गणों के संग्रह अभिमान-2021
के रूपों में व्यक्त होने से सिवाल ईप्लव रोड
क्रमांक - 23/02/2022 को पेश हो।

न्याय
क्र. वा. 2022/439
प्राथमिक
1. केशवरायम पुत्र
जाति जाट
पटवार
तहसील

23/02/2022

प्रार्थी वहील उपस्थित। विद्यार्थीगणों के
नोटिस पूर्व से जारी रजिस्ट्रार एडी मिजवामे
गये जिनको उरीब 9 माह का समय व्यक्तित
हो चुका है जिनकी शर्त से कोई उपस्थित
नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार श्रावण
लगाई गई, अन्तिम श्रावण 5:45 PM पर लगाई
गई, विद्यार्थीगण स्वयं या उनकी शर्त से कोई
साक्षिकता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विद्यार्थी-
गणों के विरुद्ध एडवोकेट कार्यावाही अमल में
लाई जाती है अतः वांटे बडल पञ्जावली दिनांक
27/04/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27/4/22	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 439

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27/4/22
विप्रार्थीगण

1. केशराराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 06,
जाति जाट, निवासी नया सिंगोडिया,
पटवार मण्डल हरखाली,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. खेताराम पुत्र भगाराम वगैरा 52,
जाति मेघवाल, निवासी भीमड़ा,
पटवार मण्डल भीमड़ा,
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 115/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - हरूपोणी, पटवार हल्का - भीमड़ा, तहसील - बायतु, जिला-
बाडमेर के खेत खसरा नं. 712/679 रकबा 8.1305 हेक्टर व मौजा - बाटाडू पटवार हल्का - बाटाडू
तहसील - बायतु के खेत खसरा नं. 1355 रकबा 1.0193 हेक्टर व मौजा - नया सिंगोडिया पटवार हल्का
- हरखाली, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 603/509, 604/510, 606/510,
619/533 रकबा क्रमशः 0.0485, 8.1062, 2.7506, 4.1502 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में
राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह
अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा
111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण
के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा
पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत
किया जाता है।

सहायकी कलेक्टर
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/4/22

क्रमांक : वाद/2022/ 440-444

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का भीमड़ा, बाटाडू, हरखाली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री केशराराम पुत्र टीकमाराम वगैरा 06,
4. विप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र भगाराम वगैरा 52,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु